



अध्याय 4

केंद्र की सरकार

आपने कक्षा सातवीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए :-

1. हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है ?
2. आपके क्षेत्र का विधायक कौन है ?
3. क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल (मध्यप्रदेश) में लागू होगा

हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेलसेवा आदि की देख-रेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार के कार्य देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं। (इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्लीवाली सरकार कहा जाता है।)

1. आपके आसपास केंद्रीय सरकार के कौन-कौन-से कार्यालय हैं, सूची बनाइए।
2. केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते होंगे? आपस में चर्चा कीजिए।
3. जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है इसी प्रकार 2-3 उदाहरण और बताइए जिनका निर्धारण केन्द्र सरकार को करना चाहिए और क्यों? सोचकर अपने शब्दों में लिखो।



इस पाठ में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे।

संसद :- पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। चित्र में संसद भवन दिखाया गया है। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है।



- आपने अपने देश की संसद भवन का चित्र कहाँ-कहाँ देखा है ?
- क्या आपके इलाके का भी कोई व्यक्ति इस भवन में बैठता है? यदि हाँ तो उन्हें क्या कहते हैं?
- इस भवन में बैठे व्यक्ति क्या काम करते होंगे?

लोकसभा:— जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बाँटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल लोक सभा सीट 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोक सभा क्षेत्र है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है।

1. आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं?
2. आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन हैं?
3. उनका चुनाव कैसे हुआ? आपस में चर्चा कीजिए ।

राज्यसभा :— केन्द्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है।

संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है।

संसद के कार्य:— संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद ही क्यों करती है? इसका उत्तर है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं।

कार्यपालिका:— संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए जाते हैं।



लोकसभा में बहुमत दल के नेता अर्थात् जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रि परिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति :- भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं।

उदाहरण- आपने समाचार पत्रों में या टी.वी. में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता।

आपस में चर्चा कीजिए कि किन-किन क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :- राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :-


1. राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
2. राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
3. राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियाँ और समझौते कर सकता है।
4. राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है।
5. यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् की सलाह से करता है।

- राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ?
 - राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
 - उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन-कौन-सी शक्तियाँ हैं ?
- शिक्षक से चर्चा कीजिए।

क्या आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून का पालन न करने पर या उसे तोड़ने पर दंड देने का कार्य किसका है?

यह कार्य सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग करता है, जिसे 'न्यायपालिका' कहते हैं।



राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

न्यायपालिका :- पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ :- उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं—

1. प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र

इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है—

- अ. ऐसे मुकदमे जो केन्द्र व राज्य सरकार के बीच हों।
- ब. ऐसे मुकदमे जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों।
- स. ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हों।

2. अपीलीय अधिकार

इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।



सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

3 परामर्श क्षेत्राधिकार

इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है।

अभ्यास के प्रश्न



1. पता करें और बताएँ:-

1. आप किस राज्य में रहते हैं ?
2. हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं?
3. क्या आपके क्षेत्र के संसद सदस्य वहाँ की समस्या को हल करने में मदद करते हैं। यदि हाँ तो कैसे ?
2. केन्द्र सरकार किसे कहते हैं ? केन्द्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए।
3. देश की संसद से आप क्या समझते हैं ?
4. देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है ?
5. राष्ट्रपति की चार महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखें ?
6. संसद के कार्यों को लिखिए।
7. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है ?
8. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए।
9. रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन-सा उपाय करेगा।
10. 'अगर मैं प्रधानमंत्री होता' अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए।